भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1796
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

संविधान संशोधन विधेयक

1796. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है ताकि देश में सुशासन को सुकर बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार संवैधानिक अनुच्छेद में संशोधन के समय की तुलना में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : वर्तमान में, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या को बढाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****